न्यायालय, सब जज–तृतीय, डुमरॉव, बक्सर।

टी0एस0–279 / 2005

08.06.2023

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रस्तुत वाद वादी की ओर से आदेश–1 नियम–10 एवं धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के अंतर्गत दाखिल दिनांक–02.01.2023 एवं प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–25.01.2023 पर उभय पक्षों के सुनवाई उपरांत आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिववक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान वाद वादिनी द्वारा वाद पत्र के परिशिष्ट सं0–1 में वर्णित भूखंड के निस्वत अपने स्तत्व में अभी निर्धारण हेतु दाखिल किया गया है साथ ही यह भी दावा किया गया है कि वादग्रस्त भूखंड के लिए प्रतिवादीगण बिल्कुल गैर सरोकारी है। वादग्रस्त भूखंड पहले महारानी उषा रानी डुमरांव की थी जिसे उन्होंने बजरिये रजिस्ट्री कबाला दिनांक–16.12.1980 में मान कुंवर देवी को बिक्री कर दखल कब्जा दे दिया तथा मान कुंवर देवी ने अपनी उक्त क्रय की गयी भूखंड वादिनी धर्मावती देवी के पति त्रिवेणी प्रसाद दुबे को बजरिये रजिस्ट्री कबाला दिनांक–13.10.1987 को बिक्री कर दिया तथा त्रिवेणी दुबे से बिक्री कर कुल जरसमन प्राप्त कर बिक्री सुदा भूखंड पर त्रिवेणी दुबे को दखल कब्जा दे दिया। त्रिवेणी दुबे जब तक जीवित रहे अपने उक्त क्रिय की गई भूखंड पर बहैसियत मालिक मुस्तकिल के कब्जे दखल में रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी यानी वादिनी धर्मावती देवी तमाम वादग्रस्त भूखंड पर बहैसियत मालिक मुस्तकिल काबिज दाखिल हुए वो चली आई। सुनवाई के समय यह जाहिर वो साबित होगा कि वादिनी हार्मावती देवी को वास्ते बनाने मकान वो घर गृहस्थी वो भी दिगर जायज जरूरियात के लिए रूपयों की सख्त जरूरत माह जून 2004 में पड़ी जिसे पूरा करने के लिए वादिनी मु0 धर्मावती देवी ने अपनी उक्त शौहरी जायदाद को खरीद बिक्री की बातचीत प्रार्थी के साथ तय एवं पक्का किए वो एराजी मुन्दर्जे जमीमा नं0–1 अर्जिदावी में मवाजी 2 कट्ठा 10 धुर एराजी प्रार्थी आवेदक बजरिये दो किता वसीके जात बयनामा दिनांक–04.06.2004 के प्रार्थी आवेदक को बिक्री कर दिए तथा प्रार्थी से कबाला का कुल जरसमन प्राप्त कर तमाम बिक्री सुदा भूखंड पर प्रार्थी को दखल कब्जा भी दे

दिया और प्रार्थी अपनी क्रय की गयी भूखंड पर दिनांक–04.06.2004 से ही बहैसियत मालिक मुस्तकिल के कब्जे दखल में है और चले आते है। प्रार्थी को वर्तमान वाद की जानकारी पूर्व में कभी नहीं हो सकी वो प्रार्थी को पहले पहल इस वाद की जानकारी इस वाद के प्रतिवादी सं0–4 परशुराम यादव द्वारा दिए गए धमकी के आधार पर पहले पहल दिनांक–12.12.2022 को जानकारी हो सकी। तत्पश्चात् प्रार्थी अपने बिक्रेता से संपर्क स्थापित किया और उनसे प्राप्त वाद पत्र एवं अन्य कागजातों के आधार पर दिनांक–18.12.2022 को ही सभी तत्पश्चात् प्रार्थी अपने अधिवक्ता से संपर्क स्थापित कर वर्तमान आवेदन तैयार कराया तथा दाखिल किया। प्रार्थी को हरगिज पूर्व में इस वाद की जानकरी नहीं रही। प्रार्थी इस वाद के लिए जरूरी फरीक है तथा प्रार्थी का इस वाद में मौजूद रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिवादीगण यह एलान करना शुरू किए है कि वे इस वाद में हार जाने के बाद भी प्रार्थी के हकियत को नहीं मानेंगे चूँकि प्रार्थी इस वाद में पक्षकार नहीं है। अतः निवेदन है कि वर्तमान वाद में प्रार्थी को वादी सं0–2 के रूप में पक्षकार बनाने की प्रार्थना करते है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रतिउत्तर पर सुनवाई के दौरान कथन है कि हस्तक्षेपक का आवेदन दिनांक–02.01.2023 वास्ते बनने पक्षकार सं0–2 कानूनन एवं तथ्यगत पोषणीय नहीं है वो खारिज होने योग्य है। हस्तक्षेपक ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश नियम 10 के अन्तर्गत आवेदन दिया है जो कि हरगिज मेन्टेनेबुल नहीं है। हस्तक्षेपक के आवेदन के अवलोकन से यह बखूबी स्पष्ट होता है कि हस्तक्षेपक वादीनी के मेल में आकर वाद की कार्यवाही को लिंगर करने के लिए उक्त आवेदन दिया है जो किसी भी प्रकार से स्वीकार करने योग्य नहीं है। हस्तक्षेपक ने अपने आवेदन के पारा सं0–1 एवं 2 में वही बातें कही है जिसका सन्दर्भ वादीनी से है एवं इससे हस्तक्षेपक को उपरोक्त वाद में पक्षकार बनने की आवश्यकता साबित नहीं होती है। हस्तक्षेपक के आवेदन के पारा सं0–3 में वर्णित कथन भी बिल्कुल गलत वो झूठे है वो हरगिज महारानी उषा रानी द्वारा लिखे गए कबाला के आधार पर विवादित एराजी पर किसी कबालेदार का दखल कब्जा नहीं हुआ वो न हीं उन्हें कोई स्वत्व ही हासिल हुआ क्योंकि जब महारानी उषा रानी का ही स्वत्व विवादित जमीन पर नहीं था तो उनके क्रेतागण को स्वत्व वो दखल कब्जा पाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है वो भी खुद वादीनी ने अपने डिपोबिशन के क्रॉस पारा नं0–54 में यह स्वीकार किया है कि उसने अपने क्रेता

को जमीन पर दखल कब्जा नहीं दिया है वो इस तरह से हस्तक्षेपक के आवेदन का पारा नं0–1 ता 3 अमान्य है जो उन्हें पक्षकार बनने में मदद नहीं करता है। हस्तक्षेपक का वाद में कोई प्रत्यक्ष हित नहीं है एवं उसका जो भी हित है वह वाद की वादीनी के हित पर आधारित है। इसलिए हस्तक्षेपक को उपरोक्त वाद में पक्षकार बनाने की कोई विधिक जरूरत नहीं रह जाती है। हस्तक्षेपक ने अपने आवेदन के पारा सं0–4 में जो कथन किया है वह भी गलत है जैसा कि प्रार्थी अपने प्रत्युत्तर के पारा सं0–4 में जो कथन किया है वे भी गलत है जैसा कि प्रार्थी अपने प्रतिउत्तर के पारा नं0–4 में उद्धरित किया है एवं हस्तक्षेपक उक्त पारा का कथन उसके वाद में पक्षकार बनने का आधार नहीं हो सकता है। हस्तक्षेपक के उसके आवेदन का पारा सं0–5 में किया गया कथन कि उसे वाद की पहले जानकारी नहीं थी बिल्कुल गलत है। सत्य यह है कि हस्तक्षेपक का दाखिल खारिज वाद सं0–1249/09–10 अंचलाधिकारी डुमरॉव के यहां से उपरोक्त स्वत्व वाद के पेंडेन्सी के आलोक में ही खारिज हुआ था जिसके खिलाफ उसने म्यूटेशन अपील सं0–66/11–12 डी0सी0एल0आर0 डुमरॉव के यहां दाखिल किये थे जो उक्त आधार पर ही खारिज हो गया वो वर्तमान में इनका पुनरीक्षण वाद सं0–96/12 समाहर्त्ता महोदय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें भी प्रार्थी प्रतिवादी अपने जबाव में उक्त स्वत्व वाद की चर्चा किया है वो उसकी प्रति दिया है। उपरोक्त वाद में दाखिल प्रार्थी के प्रदर्श–एफ के अवलोकन से भी स्पष्ट होगा कि दिनांक–10.06.2011 को पत्रांक सं0–122046 के माध्यम से कमल प्रसाद दुबे के द्वारा कराए गए जांच में सिल निरीक्षण के बाद जांच पदाधिकारी ने स्वत्व वाद सं0–279/05 के आधार पर कार्यवाही को स्थगित कर दिया था वो इस प्रकार साबित होता है कि हस्तक्षेपक को उक्त वाद की जानकारी शुरू से ही है वो हस्तक्षेपक वादीनी के इन्सटान्स पर केवल वाद को लिंगर करने वास्ते उक्त आवेदन दिया है। हस्तक्षेपक किसी भी प्रकार से पक्षकार बनने की कानूनी जरूरतों को पूरा नहीं करता है। इसलिए उसका आवेदन खारिज होने योग्य है वो ना ही हस्तक्षेपक के पक्षकार बनने से वाद के विनिश्चय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है वो ना ही हस्तक्षेपक का वाद में कोई स्वतंत्र हित ही है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्रत्युत्तर दाखिल कर प्रार्थना है कि हस्तक्षेपक का पक्षकार बनने का आवेदन दिनांक–02.01.2023 को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादिनी धर्मावती देवी द्वारा विवादित एराजी उसके पति की खरीदगी एराजी है जिसका केवाला दिनांक–13.10.1987 से है खारिज की गयी है एवं उक्त विवादित जमीन से कोई सरोकार प्रतिवादीगण को नहीं है के लिए लाया गया है।

आवेदक हस्तक्षेपक ने अपने आवेदन में कहा है कि विवादग्रस्त भूखंड पहले महारानी उषा रानी डुमरांव की थी जिसे उन्होंने रजिस्ट्री केवाला दिनांक–16.12.1980 में मान कुंवर देवी को बिक्री कर दखल कब्जा दे दिया तथा मान कुंवर देवी ने उक्त क्रय की गयी भूखंड वादनी धर्मावती के पति त्रिवेणी प्रसाद दुबे को वजरिये रजिस्ट्री केवाला दिनांक–13.10.1987 को बिक्री कर दिया एवं इस आधार उक्त जमीन में त्रिवेणी दुबे का दखल कब्जा प्राप्त हुआ। त्रिवेणी दुबे की मृत्यु के बाद विवादित एराजी पर धर्मावती देवी का दखल कब्जा बताया है धर्मावती देवी को रूपया की सख्त जरूरत पड़ने पर अपने उक्त पति की जायदाद को जिसका उल्लेख एराजी के जमीमा नं0–1 में किया गया है । आवेदक को दो किता वसीका दिनांक–04.06.2004 को बिक्री कर दिया एवं बिक्री सुदा एराजी पर आवेदक प्रार्थी का दखल कब्जा दे दिया। आवेदक उक्त एराजी पर अपने दखल कब्जा की बात बताया है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद में विवादित एराजी को आवेदक पक्षकार के द्वारा क्रय करने एवं उसमे दखल कब्जा की बात कहा गया है। इस प्रकार विवादित भूखंड में आवेदक पक्षकार का भी हित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक पक्षकार के आवेदन को स्वीकार कर उसे प्रस्तुत वाद में वादी सं0–2 के रूप में पक्षकार बनाए जाने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय